



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 09 अप्रैल, 2025

थाना कोतवाली देहात

सोशल मीडिया पर अवैध असलहा के साथ वायरल वीडियो का अभियुक्त अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.04.2025 को थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुअसं-226/25 धारा 191(2)/191(3)/190/329(3) बीएनएस से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें एक व्यक्ति अवैध असलहा के साथ दिखायी दे रहा था तथा जिसकी पहचान कन्हैयालाल पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम बनैल थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई थी, को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दिनांक 08/09.04.2025 की रात्रि मामन नहर के पास से अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 शस्त्र अधि० की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. कन्हैयालाल पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम बनैल थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री प्रेमचन्द शर्मा थाना प्रभारी कोतवाली देहात
- 2- उ०नि० हरेन्द्र सिंह
- 3- का० विपिन कुमार, का० ओम प्रकाश



मीडिया सेल बुलंदशहर